राशमा

२५/३/२१ प्रकरण पेश हुआ। अधिवक्ता प्रार्थी हाजिर नहीं। अधिवक्ता प्रार्थी को न्यायालय समय समाप्ति तक रुक-रुक कर आवाज लगाई गई, किन्तु प्रार्थी अधिवक्ता स्वयं हाजिर नहीं आये प्रार्थीगण स्वयं हाजिर ऐसी स्थिति में पुनः अधिवक्ता प्रार्थी को आवाज लगाई गई, किन्तु हाजिर नहीं आने से अधिवक्ता प्रार्थी का प्रकरण अन्तर्गत धारा 111,128 CR Act 1956 को अदम पैरवी/अदम हाजरी में खारिज किया जाता है। प्रकरण की [illegible] निर्धारित [illegible] की [illegible] बाद आवश्यक कार्यवाही [illegible] की जावे। आदेश [illegible] [illegible] खुले न्यायालय में [illegible]

(सुनील शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी,
राशमी

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Sharma
Date: 2021.03.30 17:31:56 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner